मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भेपाल

क्रमांक : एफ 12-5/2007/नियम/चार भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल, 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय- मध्यप्रदेश राज्य के सेवारत परिवार पेंशनरों को पेंशन पर राहत की पात्रता के संबंध में ।

--00--

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ बी-6/43/76/नि-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन परिवार पेंशन एवं असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी महँगाई राहत देय है । वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ बी-6/17/76/नि-2/चार, दिनांक 27-7-76 सहपठित परिपत्र क्रमांक एफ बी-6/10/77/नि-2/चार, दिनांक 2-5-77 के प्रावधानों के अंतर्गत, ऐसे मामलों में जहाँ पेंशन / परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त / पुर्ननियुक्त हैं वहाँ पेंशन पर महँगाई राहत की पात्रता नहीं है ।

2/ माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा याचिका क्रमांक WP (s) 803/05 में पारित किए गए निर्णय के परिपेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि कोई व्यक्ति यदि उसके पति / पत्नि की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकम्पा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति / पत्नि की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महँगाई राहत की पात्रता होगी । यदि किसी व्यक्ति को उसके पति / पत्नि की मृत्यु के कारण अनुकम्पा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महँगाई राहत की पात्रता नहीं होगी ।

3/ वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-बी-6/17/76/नि-2/चार दिनांक 27-7-1976 एवं परिपत्र क्रमांक एफ-बी-6/10/77/नि-2/चार दिनांक 2-5-1977 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगीं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए.पी. श्रीवास्तव)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक :एफ 12/5/2007/नियम/चार भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल, 2007

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इंदोर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर/ ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा ओर हकदारी / (आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/ अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(पी.सी.वर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

शाकेमुभो—159—असविवि—3-5-07—800.